



दिनांक- 10.09.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करी पर कड़ा प्रहार □

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 267 ग्राम अवैध स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 53 लाख 40 हजार रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष चिलकाना श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त फरमान पुत्र अफजाल निवासी मोहल्ला मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को चिलकाना-सहारनपुर मार्ग पर भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पम्प के बराबर में तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 267 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 53 लाख 40 हजार रुपये) बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 329/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जांच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फरमान पुत्र अफजाल निवासी मोहल्ला मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 267 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 53 लाख 40 हजार रुपये)

अभियुक्त फरमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 135/14 धारा 147/148/323/324/332/333/353/504/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट चिलकाना
2. मु0अ0सं0 136/14 धारा 147/323/504/506 भादवि – थाना चिलकाना

3. मु0अ0सं0 184/14 धारा 147/148/323/504/506/452 भादवि थाना चिलकाना स0पुर
4. मु0अ0सं0 329/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 93/15 धारा 2/3 गैगस्ट अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 20/17 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 67/17 धारा 3/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना
8. मु0अ0सं0 317/22 धारा 21 बी /29/61/85 एनडीपीएस एक्ट थाना छाप्पर जिला यमुनानगर
9. मु0अ0सं0 278/14 धारा 147/148/149/307/332/34/353/504/506 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट व 7 क्रिमिनल लाँ एक्ट थाना चिलकाना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अंकुर चौधरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. का0 2423 मनमोहन सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का0 2251 जितेन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. रि0 का0 611 अमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक- 10.09.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस का अवैध खनन पर बड़ा प्रहार

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा बिना रॉयल्टी के अवैध खनन सामग्री का परिवहन करते 11 डम्पर व 01 जेसीबी (ओवरलोड / अवैध प्रपत्र / बिना नम्बर प्लेट) को किया गया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी मिर्जापुर श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में दिनांक 09/10.09.2026 की रात्रि थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा गन्देवड़-हथनीकुण्ड एवं गन्देवड़-बादशाहीबाग मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने बिना रॉयल्टी/अवैध प्रपत्रों के खनन सामग्री का परिवहन करते 11 डम्पर एवं 01 जेसीबी, कुल 12 वाहनों को पकड़ा। प्रारम्भिक जांच में वाहनों में ओवरलोडिंग, बिना वैध प्रपत्र तथा बिना नम्बर प्लेट जैसी अनियमितताएं पाई गईं। पुलिस द्वारा सभी 12 वाहनों को सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया है। प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

सीज वाहनों का विवरण—

- 1) 01 डम्पर नं०- UP 11CT 8186
- 2) 01 डम्पर UP 11AT 8930
- 3) 01 डम्पर UP 11CT 8160
- 4) 01 डम्पर UP 11CT 2330
- 5) 01 डम्पर HR 58E 3022
- 6) 01 डम्पर HR 58E 6063
- 7) 01 डम्पर UP 11DT 1411
- 8) 01 डम्पर HR 58D 9326 बिना नम्बर प्लेट
- 9) 01 डम्पर HR 58E 8268 बिना नम्बर प्लेट
- 10) 01 डम्पर HR 58C 1032 बिना नम्बर प्लेट
- 11) 01 डम्पर HR 58E 1717 बिना नम्बर प्लेट
- 12) 01 जेसीबी रजि० नं० UP 11 DT 7278

वाहन सीज करने वाली पुलिस टीम—

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री मुकेश सोलंकी थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० नरेश कुमार थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर
4. हे०का० 461 विपिन खोखर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
5. का० 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
6. का० 2034 राहुल मोतला थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 10.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 09.09.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अभिषेक चौहान पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम बादशाहपुर थाना पथरी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा वादिया को नौकरी में प्रमोशन दिलाने का झांसा देकर वादिया के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना व वादिया की वीडियो वायरल करने की धमकी देना व वीडियो वायरल कर देना व वादिया के भाई को मोबाइल पर गालिया व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0-656/2026 धारा धारा 69/351(2)/352 बीएनएस व 66 ई आईटी एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश- निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबंद श्री सन्दीप बालियान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त अभिषेक चौहान पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम बादशाहपुर थाना पथरी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड को वीरपुर बार्डर पर झबरेडा से मंझौल जाने वाले रास्ते पर देवबंद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभिषेक चौहान पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम बादशाहपुर थाना पथरी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1167 संजीव कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. हो0गा0 909 जितेन्द्र कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 10.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 वारण्टी

अभियुक्त गिरफ्तार,

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबन्द श्री संदीप बालियान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **01 वारण्टी अभियुक्त मौहम्मद फुरकान पुत्र सगीर अहमद निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं० 3184/23 व मु०अ०स० 609/2023 धारा 420/406/504/506 भादवि में मौहल्ला कायस्थवाडा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौहम्मद फुरकान पुत्र सगीर अहमद निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री लोकेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. का० 2253 संजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. का० 687 खिलेन्द्र थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



दिनांक - 10.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की रोकथाम हेतु अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार चीमा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त अन्शु उर्फ भूरा पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम धतौली रांगड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को ट्रांसपोर्ट नगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 बोतल अवैध देशी शराब माल्टा FOR SALE IN HARYANA ONLY 750 ML बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर के अलग-अलग थानों पर एक दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0 223/26 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अन्शु उर्फ भूरा पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम धतौली रांगड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0स0 65/23 धारा 379/411 भादवि थाना जनकपुरी
- 2- मु0अ0स0 66/23 धारा 379/411 भादवि थाना जनकपुरी
- 3- मु0अ0स0 185/24 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना जनकपुरी
- 4- मु0अ0स0 41/23 धारा 379/411 भादवि थाना को0नगर
- 5- मु0अ0स0 56/23 धारा 379/411 भादवि थाना को0नगर
- 6- मु0अ0स0 171/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना को0नगर
- 7- मु0अ0स0 144/24 धारा 379/411/34 भादवि थाना को0नगर
- 8- मु0अ0स0 158/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी
- 9- मु0अ0स0 182/24 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना को0नगर
- 10- मु0अ0स0 96/23 धारा 379/411 भादवि थाना मण्डी
- 11- मु0अ0स0 253/24 धारा 379/411/34 भादवि थाना मण्डी
- 12- मु0अ0स0 256/24 धारा 379/411/34 भादवि थाना मण्डी
- 13- मु0अ0स0 279/24 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना मण्डी
- 14- मु0अ0स0 379/24 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना सदर बाजार
- 15- मु0अ0स0 411/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार

- 16- मु0अ0स0 425/24 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना सदर बाजार
17- मु0अ0स0 430/24 धारा 317(5)/318(4) बीएनएस थाना सदर बाजार
18- मु0अ0स0 01/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार
19- मु0अ0स0 55/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 414 भादवि थाना सरसावा
20- मु0अ0स0 223/26 धारा 63 आब0अधि0 थाना जनकपुरी

बरामदगी का विवरण:-

10 बोतल अवैध देशी शराब MALTA FOR SALE IN HARYANA ONLY 750 ML

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0कां0 218 अय्यूब, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



दिनांक- 10.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में ट्रैक्टर से बैटरी व मंदिर के बाहर से टिल्लू पम्प चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गई ट्रैक्टर की 02 बैटरी व 01 टिल्लू पम्प (पानी की मोटर) बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 09.09.2026 को वादी श्री मुकेश पुत्र ज्योतिराम ग्राम कालूवाला पहाड़ीपुर उर्फ जहानपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी व 01 अन्य के ट्रैक्टर से बैटरी व मन्दिर के बाहर लगी टिल्लू पम्प की छोटी मोटर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 152/26 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ़ श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा मात्रा 24 घण्टे में मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त **02 वांछित अभियुक्तगण 1. सौरभ पुत्र ऋषिपाल उर्फ पप्पू नि0 ग्राम कालूवाला पहाड़ीपुर उर्फ जहानपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर व 2. रवि पुत्र नाथीराम नि0 ग्राम कालूवाला पहाड़ीपुर उर्फ जहानपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर** को कुरडीखेडा पेट्रोल पम्प से गबलियो जयन्तीपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर चोरी गयी ट्रैक्टर की 02 बैटरी व 01 टिल्लू पम्प (पानी की मोटर) बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. सौरभ पुत्र ऋषिपाल उर्फ पप्पू नि0 ग्राम कालूवाला पहाड़ीपुर उर्फ जहानपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
2. रवि पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम कालूवाला पहाड़ीपुर उर्फ जहानपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 02 अदद ट्रैक्टर की बैटरी
- 01 अदद टिल्लू पम्प (पानी की मोटर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
3. है0का0 912 मोतीलाल थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
4. का0 1873 विक्रान्त थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
5. का0 2275 रूपेश थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर



दिनांक 10.09.2026

-प्रेस नोट-

थाना सरसावा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 बिजली का मोटर खोल, 01 किलो तार तांबा, 15 मीटर बिजली का केबिल, 30 मीटर बिजली की डोरी, 25 सरिया के रिंग (लोहे के) व 04 लोहे के गोल घरे बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 09.09.2026 को वादी श्री सतवीर सिंह पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम बुढेडा, सरसावा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के खेत पर बनी ट्यूबवैल से बिजली की मोटर, स्टार्टर, केबिल व बिजली का सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 295/2026 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सरसावा श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए विवेचना से प्रकाश में आये **03 अभियुक्तगण 1- सुनील उर्फ काली पुत्र जगदीश निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर, 2- कपिल पुत्र मेघपाल निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर व 3- जहीर पुत्र यामीन निवासी ग्राम नसीरपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को ग्राम माजरी कला के रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से **01 बिजली का मोटर खोल, 01 किलो तार तांबा, 15 मीटर बिजली का केबिल, 30 मीटर बिजली की डोरी, 25 सरिया के रिंग (लोहे के) व 04 लोहे के गोल घरे बरामद हुए।** बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग नशा करने के आदी हैं और नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटी-मोटी चोरी कर लेते हैं। दिनांक 09.09.2026 की रात्रि में मैंने और कपिल ने ग्राम बुढेडा के जंगल से एक ट्यूबवैल से बिजली केबिल, मोटर व बिजली का कुछ सामान चोरी किया था। इसके अलावा ये बिजली की डोरी व केबिल व लोहे का सामान भी हम दोनों ने कई स्थानों से चोरी किये हैं व जहीर नसीरपुरा का रहने वाला कबाडी हैं हम दोनों सारा चोरी का सामान इसी जहीर कबाडी को बेचते हैं। आज भी हम दोनों ने चोरी का सारा सामान जहीर से मोल भाव करके इसको बेचने के लिये यहाँ बुलाया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1- सुनील उर्फ काली पुत्र जगदीश निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर
- 2- कपिल पुत्र मेघपाल निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर
- 3- जहीर पुत्र यामीन निवासी ग्राम नसीरपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 बिजली का मोटर खोल
- 01 किलो तार तांबा
- 15 मीटर बिजली का केबिल
- 30 मीटर बिजली की डोरी काली/नीली/पीली/लाल
- 25 रिंग सरिया (लोहे के)
- 04 लोहे के गोल घेरे

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुनील उर्फ काली उपरोक्त

- 1- मु0अ0सं0 82/23 धारा 380, 411 भादवि थाना नकुड स0पुर
- 2- मु0अ0स0 247/21 धारा 272, 273 भादवि व 63 आब अधि0 थाना सरसावा स0पुर
- 3- मु0अ0स0 60/23 धारा 380, 411 भादवि थाना सरसावा स0पुर
- 4- मु0अ0स0 61/23 धारा 414 भादवि व 4/25 आम्स एक्ट थाना सरसावा स0पुर
- 5- मु0अ0स0 263/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा स0पुर
- 6- मु0अ0स0 118/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा स0पुर
- 7- मु0अ0स0 343/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सरसावा स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री देवकरण शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 3- हे0का0 384 अनित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 4- हे0का0 760 गुड्डू तंवर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 5- का0 2431 दीपक कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 6- का0 2525 अनूप कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



दिनांक-10.09.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही □

थाना नकुड पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 260 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अनुमानित कीमत करीब 52 लाख रुपये) व 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त अमजद पुत्र राशिद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर को गंगोह रोड से ग्राम चढाव आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा व 260 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 52 लाख रुपये) बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड पर मु0अ0सं0 472/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में जनपद सहारनपुर व शामली व हरियाणा राज्य कई आपराधिक मुकदमें पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अमजद पुत्र राशिद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 260 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अनुमानित कीमत करीब 52 लाख रुपये)
- 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 390/20 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना नकुड सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 339/22 धारा 376डी/506 भादवि व 5जी/6 पोक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना नकुड सहारनपुर

3. मु0अ0सं0 97/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 426/24 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 577/25 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 109(1) बीएनएस थाना नकुड सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 12/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कांधला जिला शामली
7. मु0अ0सं0 346/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कांधला जिला शामली
8. मु0अ0सं0 144/26 धारा 25(1-B)(a), 25(8), 29 आर्म्स एक्ट थाना सैक्टर 32,33 करनाल जिला करनाल हरियाणा
9. मु0अ0सं0 553/23 धारा 380/454 भादवि थाना लाडवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 श्री तपन जयन्त थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
3. है0का0 258 अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
4. है0का0 892 अजय राठी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
5. का0 1259 विनीत तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 03 महिला वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **03 वारण्टी महिला अभियुक्तागण** 1. रुकशाना पत्नि असलम निवासी ग्राम धनकरपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 2. रानी पुत्री असलम निवासी ग्राम धनकरपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व 3. भूरी पुत्र असलम निवासी ग्राम धनकरपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद 7759/24 व मु0अ0सं0 54/24 धारा 323/504 भादवि चालानी थाना फतेहपुर (मा0 न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कक्ष संख्या-20 सहारनपुर) तारीख पेशी 11.09.2026 में ग्राम धनकरपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तागण का नाम व पता -

1. रुकशाना पत्नि असलम निवासी ग्राम धनकरपुर थाना फतेहपुरजनपद सहारनपुर
2. रानी पुत्री असलम निवासी ग्राम धनकरपुर थाना फतेहपुरजनपद सहारनपुर
3. भूरी पुत्री असलम निवासी ग्राम धनकरपुर थाना फतेहपुरजनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री शेषपाल सिंह सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 1336 प्रशान्त कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. रि0का0 792 शिवशंकर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
7. म0रि0का0 822 प्रीति थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
8. म0रि0का0 829 दीक्षा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक -10.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **01 वारण्टी अभियुक्त अब्दुल रहीम उर्फ टोनी पुत्र निसार अहमद निवासी गली नं0-12 धोबीवाला थाना मंडी जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 4618/23 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर (मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सहारनपुर) पेशी नियत तिथि 11.09.2026 में धोबीवाला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अब्दुल रहीम उर्फ टोनी पुत्र निसार अहमद निवासी गली नं0 12 धोबीवाला थाना मंडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुशील पंवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 672 प्रदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 10-09-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत 03 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 10.09.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान कस्बा छुटमलपुर से **03 अभियुक्तगण** 1. जितेन्द्र पुत्र जोगिन्द्र निवासी ग्राम अलीपुर संभालकी उर्फ गोल्ली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 2. नीरज उर्फ ब्लैक निवासी ग्राम अलीपुर संभालकी उर्फ गोल्ली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व 3. विकास कुमार पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम अलीपुर संभालकी उर्फ गोल्ली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को हर्ष पुत्र रणवीर सिंह के साथ मुकदमा लिखाने को लेकर आमदा फसाद हो रहे थे मौके पर शान्ति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण सम्भावना के दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. जितेन्द्र पुत्र जोगिन्द्र निवासी ग्राम अलीपुर संभालकी उर्फ गोल्ली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. नीरज उर्फ ब्लैक निवासी ग्राम अलीपुर संभालकी उर्फ गोल्ली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. विकास कुमार पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम अलीपुर संभालकी उर्फ गोल्ली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सजल कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 851 विपिन पाठक थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. हो0गा0 पीसी रमेश राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया
सीवेज लाईन का लोहे का ढक्कन बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 10.09.2026 को वादी डॉ० यशवन्त रैगर मेडिकल आफिसर सीएचसी अम्बेहटा चांद की लिखित तहरीर बाबत राजू पुत्र रामा निवासी ग्राम अम्बेहटा चांद थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम अम्बेहटा चांद में स्थित सीएचसी से सीवेज लाईन का लोहे का ढक्कन चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु०अ०सं० 229/2026 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष बडगाँव श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगाँव पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वांछित चोर/अभियुक्त राजू पुत्र रामा निवासी ग्राम अम्बेहटा चांद थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर** को चन्दपुर मजबता से पहले चकरोड से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से सीवेज लाईन का ढक्कन बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

राजू पुत्र रामा निवासी ग्राम अम्बेहटा चांद थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:

01 सीवेज लाईन का लोहे का ढक्कन

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 243/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 257/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 210/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

1. श्री नरेन्द्र भडाना थानाध्यक्ष थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री रवि कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
3. उ०नि० श्री सतीश चन्द थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
4. हे०कां० 521 अमरदीप थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



दिनांक 10.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध अस्लाह रखने वाले व तस्करी की रोकथाम व इस कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2026 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **02 शातिर अभियुक्तगण** 1. मुबारक पुत्र सदाकत निवासी पीर वाली गली न0 16 थाना कोतवाली मंडी जनपद सहारनपुर व 2. राहिल पुत्र शराफत निवासी पीर वाली गली न0 16 थाना कोतवाली मंडी जनपद सहारनपुर को मंडी समिति के अन्दर पीछे की तरफ खंडहर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 466/2026 धारा 4/25 आर्मस एक्ट** के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मुबारक पुत्र सदाकत निवासी पीर वाली गली न0 16 थाना कोतवाली मंडी जनपद सहारनपुर
2. राहिल पुत्र शराफत निवासी पीर वाली गली न0 16 थाना कोतवाली मंडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 02 अवैध चाकू

अभियुक्त मुबारक उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 537/2025 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 466/2026 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर
3. है0का0 848 कपिल कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर
4. का0 1600 मनोज कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 10.09.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस का अवैध खनन पर बड़ा प्रहार

थाना बेहट पुलिस द्वारा बिना वैध प्रपत्र के अवैध खनन सामग्री का परिवहन करते

03 ट्रक/डम्पर को किया गया जब्त

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी बेहट व प्रभारी निरीक्षक बेहट मय पुलिस टीम द्वारा उच्चाधिकारीगण के निर्देशों के क्रम में अवैध खनन रोकथाम हेतु दिनांक आज दिनांक 10.09.2026 को नानौली चैकपोस्ट के पास चैकिंग की जा रही थी चैकिंग के दौरान तीन ट्रकों **1. ट्रक संख्या - HR 58 C 2303 2. ट्रक संख्या-HR 58 D 5189 3. ट्रक संख्या--HR 58 D 7492** को बिना वैध खनन प्रपत्र के उपखनिज परिवहन करते हुए पकड़ा गया जिसके सम्बन्ध में खनन विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। रिपोर्ट के उपरान्त खनिज मोहरीर श्री गिरीश चन्द्र खनिज मोहरीर खनन विभाग जिलाधिकारी कार्यालय सहारनपुर की तहरीर के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 374/26 धारा 303(2) बीएनएस व 3(2) पीपीडी एक्ट व 4/21 खान व खनिज अधि0 बनाम **1. ट्रक संख्या--HR 58 C 2303 वाहन स्वामी/चालक नाम पता अज्ञात 2. ट्रक संख्या--HR 58 D 5189 वाहन स्वामी/चालक नाम पता अज्ञात 3. ट्रक संख्या--HR 58 D 7492 वाहन स्वामी/चालक नाम पता अज्ञात** पंजीकृत किया गया है। उक्त ट्रकों को मय उपखनिज के थाना स्थानीय पर दाखिल किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही के लिये उच्चाधिकारीगण को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

जब्त वाहनों का विवरण:-

- ट्रक संख्या HR 58 C 2303
- ट्रक संख्या HR 58 D 5189
- ट्रक संख्या HR 58 D 7492

वाहन जब्त करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- क्षेत्राधिकारी बेहट, सुश्री प्रिया यादव जनपद सहारनपुर ।
- 2- प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
- 3- उ0नि0 श्री राजेन्द्र राठी थाना बेहट, जनपद सहारनपुर ।
- 4- रि0का0 433 अमन कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर ।
- 5- का0 2324 रवि कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमन्चा व
01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र रखने वाले व इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान श्री राकेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त मुताहिर उर्फ काला पुत्र ताहिर निवासी ग्राम नाई नगली माजरी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर को नाई नंगली मांजरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0स0 0284/26 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुताहिर उर्फ काला पुत्र ताहिर निवासी ग्राम नाई नगली माजरी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 62/26 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 383/21 धारा 8/15 एन0डी0पीएस0 एक्ट रामपुर मनि0 सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अशोक कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
2. हे0का0 352 अरुण कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
3. हे0का0 975 कपिल कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर प्लेट) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैंकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान श्री राकेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा चैंकिंग के दौरान अभियुक्त 01 अभियुक्त आदित्य पुत्र अरविंद कुमार निवासी तेलीपुरा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर को गोचर ITI के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटर साइकिल स्पेलन्डर रंग काला फर्जी नं0 प्लेट UP11Q897 बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0स0-0285/26 धारा 336(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आदित्य पुत्र अरविंद कुमार निवासी तेलीपुरा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

➤ 01 मोटर साइकिल (स्पेलन्डर रंग काला फर्जी नं0 प्लेट UP11Q897)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
2. कांस्टेबल 1069 अंकित कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
3. रिक्रूट कांस्टेबल 1902 दलवीर सिंह थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गयी 7,00,000/- रुपये की धनराशि पीडित
के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण:-

दिनांक 06.05.2026 को आवेदक शशिवीर चोपडा पुत्र आर0आर0 चोपडा नि0 13बी हकीकत नगर, सदर बाजार, सहारनपुर द्वारा थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके अनुसार अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के खाते से साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से रु0 11,00,000/- निकाल लिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 28/2026 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस, 66D आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्रॉड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक शशिवीर चोपडा उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी धनराशि में से रु0 7,00,000 /- की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया गया।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जावेद खान, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
2. विवेचक निरीक्षक श्री केन्द्रदत्त गौतम, थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 1141 रोहित कुमारथाना साइबर क्राइम ,, जनपद सहारनपुर
4. कां0 103 शकुन कुमारथाना साइबर क्राइम ,, जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।



-प्रेस नोट-

दिनांक 10.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान श्री राकेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **01 वारण्टी अभियुक्त रोहित कुमार सोमपाल निवासी ग्राम चर्रोह थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को (सम्बन्धित वाद 6785/25 मु0अ0स0 23/25 धारा 420/406/504 भा0द0वि0 मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रोहित कुमार सोमपाल निवासी ग्राम चर्रोह थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
2. है0का0 647 दीपक थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।



दिनांक- 10.09.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस की अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
थाना चिलकाना पुलिस द्वारा बिना रॉयल्टी के ओवरलोड अवैध खनन परिवहन करने वाले
02 वाहन / डम्पर को किया गया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम व अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अक्षय शर्मा के नेतृत्व में थाना चिलकाना व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन सामग्री परिवहन की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 10.09.2026 को श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय व थाना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दुमझेडा मार्ग से (1) डम्पर नं0- UP 11-ET-1665 (2) डम्पर UP11BT-8943 को बिना रायल्टी के ओवरलोड खनन सामग्री का अवैध रूप से परिवहन करते पाये जाने के कारण मय अवैध खनन सामग्री के सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया। उपरोक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को प्रेषित की जा रही है।

सीज वाहनों का विवरण

- डम्पर नं0- UP 11-ET-1665 (बिना रायल्टी ओवरलोड)
- डम्पर नं0 UP11BT-8943 (बिना रायल्टी ओवरलोड)

सीज करने वाली पुलिस टीम—

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. का0 586 निखिल कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



दिनांक 10-09-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पो0 एक्ट कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर द्वारा पॉक्सो एक्ट के मुकदमें में 02 अभियुक्तों को 03 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 35,000 रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा

अवगत कराना है, कि दिनांक 14.01.2019 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.विकुल पुत्र चैन सिंह नि0 मौ0 गुजरान कस्बा व थाना गंगोह 2. सोनू उर्फ अमीर आलम पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाना व छेड़छाड़ करने की सूचना पर मु0अ0सं0-44/2019 धारा- 363,366,354 भादवि व 7/8 पो0 एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 1108/25 व 1938/25 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पो0 एक्ट कक्ष संख्या- 15 जनपद –सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पो0 एक्ट कक्ष संख्या- 15 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 10.09.2026 को अभियुक्तगण 1.विकुल पुत्र चैन सिंह नि0 मौ0 गुजरान कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर को थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 44/2019 धारा-363,366 व धारा-8 पोक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया तथा 2. सोनू उर्फ अमीर आलम पुत्र मुस्तकीम नि0 ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को मु0अ0सं0 44/2019 धारा-8 पोक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया

नोट:- अभि0 विपुल को धारा 354 भादवि में दोषमुक्त किया गया व अभि0 सोनू उर्फ अमीर आलम को धारा 363,366,354 भादवि में दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्रीमति चंचल पुण्डीर

विवेचक- उ0नि0 श्री विपिन मलिक।

पैरोकार- का0 आकिल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 10 बोतल अवैध
देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2026 को थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा गश्त एवं चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त **मुकुल यादव पुत्र रामकुमार यादव निवासी ग्राम दिनारपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को सर्विस रोड होकर हरौडा की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 बोतल अवैध शराब देशी शराब माल्टा मार्का हरियाणा राज्य बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 252/26 धारा 63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुकुल यादव पुत्र रामकुमार यादव निवासी ग्राम दिनारपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त मुकुल का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 180/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थान गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 253/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थान गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

10 बोतल अवैध देशी शराब (मार्का हरियाणा राज्य)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सौरभ यादव थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. है0का0 981 निशान्त चौधरी थाना गागलहेडी सहारनपुर।
3. है0का0 716 राकेश राणा थाना गागलहेडी सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 08 बोतल अवैध
देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2026 को थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा गश्त एवं चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त अंकित पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम पुष्पांजली विहार जनता रोड चकरेहटी जनकपुरी जनपद सहारनपुर उम्र 27 वर्ष पशु पैठ के पास बाग के पास से समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 08 बोतल अवैध गैर राज्य देशी शराब हरिया 08 08 बोतल अवैध गैर राज्य देशी शराब हरियाणा राज्य मार्का रशीला माल्टा मसालेदार देशी शराब। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 251/26 धारा 63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम पुष्पांजली विहार जनता रोड चकरेहटी जनकपुरी जनपद सहारनपुर गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 77/2026 धारा 305(ए) बीएनएस चालानी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 02/2025 धारा 305(ए), 317(2), 331(3) बीएनएस चालानी थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 180/2025 धारा 4/25 आयुध अधि0 व धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस चालानी थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 382/2026 धारा 4/25 आयुध अधि0 चालानी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 88/2025 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस चालानी थाना कोतवाली मंडी जिला सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 753/2024 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस चालानी थाना कोतवाली सदरबाजार सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 65/2026 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस चालानी थाना कोतवाली सरसावा जिला सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 72/2026 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस चालानी थाना कोतवाली सरसावा जिला सहारनपुर।
9. मु0अ0सं0 73/2026 धारा 3/25 आयुध अधि0 चालानी थाना कोतवाली सरसावा जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

➤ 08 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा राज्य मार्का रशीला माल्टा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० उ०नि० अभिनव कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. का० 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी सहारनपुर
3. का० 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 22 पक्के
अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैंकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा गश्त चैंकिंग के दौरान आज दिनांक 10.09.2026 को 01 शराब तस्कर अभियुक्त **मुजम्मिल पुत्र हाशिम निवासी गली न0 – 08 इशरार का कारखाना खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को पुराना कलसिया रोड भंगी कालोनी कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **22 पक्के (महबूबा) देशी शराब** बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त मुजम्मिल उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर **मु0अ0सं0 467/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त मुजम्मिल उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुजम्मिल पुत्र हाशिम निवासी गली न0 – 08 इशरार का कारखाना खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

❖ 22 पक्के (महबूबा) देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. है0का0 658 अनिल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
2. है0का0 424 गौरव त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।